न्यायालय–अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कुम्हेर
जिला भरतपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– मौहम्मद आज़म,आर.जे.एस.
फौज0 निय0 प्रकरण संख्या :– 133/2012
सी आई एस नं0 :– 133/2012
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या :– 96/2012 पुलिस थाना कुम्हेर

राजस्थान राज्य ....अभियोगी।

–::बनाम::–

1. सुनील कुमार पुत्र नन्नूराम जाति कोली उम्र 30 वर्ष निवासी गौशाला के पास कुम्हेर जिला भरतपुर राज0
2. अनिल कुमार पुत्र हेतराम जाति जाटव उम्र 35 वर्ष निवासी सेढ का मढ पुलिस थाना कुम्हेर जिला भरतपुर राज0 **(मफरूर दिनांक 03.07.2023)**

....अभियुक्तगण।

अपराध अन्तर्गत धारा 457,380 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थितः–
1. श्री अमित कुमार चौधरी अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।
2. श्री राजेश शर्मा, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त कम संख्या 1 की ओर से।

–::निर्णय::– **दिनांक : 05.12.2023**

हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त कम संख्या–2 अनिल कुमार पुत्र हेतराम को दिनांक 03.07.2023 को मफरूर घोषित किया गया है। अतः हस्तगत निर्णय प्रकरण में शेष रहे अभियुक्त कम संख्या–1 सुनील कुमार पुत्र नन्नूराम के संबंध में ही पारित किया जा रहा है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि परिवादी तेजाराम ने दिनांक 13.03.2012 को एक तहरीरी रिपोर्ट पुलिस थाना कुम्हेर पर इस आशय की पेश की थी कि प्रार्थी बस स्टेण्ड कुम्हेर पर फल की ढकेल लगाता है। पास में ही मेरा गोदाम है। दिनांक 18.03.12 की रात्रि को पडौस का दुकानदार आशीष खण्डेलवाल उसके घर पर आया जिसने बताया कि गोदाम

का ताला टूटा हुआ है। इस पर मैं अपने गोदाम पर पहुॅचा तो देखा कि मेरी पेटी गल्ला गायब था जिसमें करीब 1500 रूपये थे। एक अंगूर की पेटी कीमत 250 रूपये भी गायब थे। मुझे शक है कि सुनील पुत्र नन्नूराम जाति कोली निवासी गौशाला के पास कुम्हेर तथा अनिल पुत्र हेतराम जाति जाटव निवासी सेढ का मढ कुम्हेर ने मेरे गोदाम में चोरी की है। सबूत पेश करूगा। उचित कार्यवाही की जावे।

आदि पर पुलिस थाना कुम्हेर पर मु0नं0 96/2012 धारा 457,380 आई पी सी में दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। अन्य आवश्यक कार्यवाही पूर्ण की गई। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 457,380 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र जरिये अभियोजन अधिकारी पेश किया गया।

अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 457,380 भारतीय दण्ड सहिंता में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अभियुक्तगण को पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर धारा 457,380 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया तो अभियुक्तगण ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

अभियोजन की ओर से पी.ड.1 तेजाराम, पी ड 2 आशीष कुमार, पी ड 3 कपूरचंद, पी ड 4 सतवीर सिंह पी ड 5 बहादुर सिंह, पी ड 6 हरपाल सिंह, पी ड 7 रमेश सिंह, पी ड 8 रामसिंह के बयान लेखबद्व कराये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्र. पी.1 लगायत प्र पी 13 को प्रदर्शित कराया तथा अभियोजन द्वारा अपनी साक्ष्य समाप्त की गयी।

अभियुक्त सुनील के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लिये गये तो उसने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए स्वयं को निर्दोष होने व झूंठा फसाने का कथन करते हुए साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा जिस पर सफाई साक्ष्य बंद की गई।

बहस अंतिम सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

1. न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु है कि क्या अभियुक्त ने दिनांक 18.03.2012 को किसी समय स्थान बस स्टैण्ड कस्बा कुम्हेर में परिवादी तेजाराम के गोदाम में चोरी करने के आशय

से उसका ताला तोडकर रात्री प्रच्छन्न गृह अतिचार करते हुए गल्ले में रखे 1500/—रूपये व 250/—रूपये कीमत की अंगूर की पेटी को बेईमानीपूर्ण आशय से हटाकर चोरी कारित की?

2. यदि हॉ तो उक्त अपराध हेतु अभियुक्त को उचित दण्ड क्या होगा?

उक्त विचारणीय बिन्दु को साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से 8 गवाहों को साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है। प्रकरण परिवादी तेजाराम के द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्र0पी 1 के आधार पर दर्ज हुआ है। उक्त तहरीरी रिपोर्ट के समर्थन में स्वयं परिवादी तेजाराम पी ड 1 के रूप में साक्ष्य में परीक्षित हुआ है जिसने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि आज से चार पांच साल पहले बस स्टेण्ड पर दुकान की घटना है। घटना हमारे किराये की दुकान की थी उस दुकान को हमने किराये पर ले रखा था। हमको दुंकान का ताला टूटा हुआ मिला था। उसने गोदाम में जाकर देखा तो उसकी पेटी का गल्ला गायब था जिसमें करीब 1800—1900 रूपये थे। उसे एक पैसा नहीं मिला था। दुकान का गल्ला उसे कुंआ में मिला था। उसके कागज थे जो कि उसको कुएं में ही मिले थे तथा एक अंगूर की पेटी जिसकी कीमत 250/—रूपये थी वह भी नहीं मिली। उक्त सारा सामान चोरी हो गया था। उसे किसी पर भी शक नहीं था। रिपोर्ट उसने दर्ज कराई जो प्र पी 1 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। चॉक एफ आई आर प्र पी 2 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। घटना स्थल पर पुलिस आई थी नक्शामौका बनाया जो प्र पी 3 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियुक्तगण के नाम नहीं बताने के कारण अभियुक्तगण को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी गवाह ने इस बात का सही होना बताया है कि उसके गोदाम का ताला तोडकर चोरी हुई थी। गवाह ने इस बात का गलत होना बताया कि उसे सुनील व अनिल पर शक हो। दौराने जिरह गवाह का कथन रहा है कि घटना के बाद उसके साथी दुकानदार रिपोर्ट लिखाकर लाये थे। गवाह ने इस बात का सही होना बताया कि उसे किसी पर शक नहीं था। इस प्रकार उक्त गवाह ने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से उसकी दुकान पर चोरी होने एवं गल्ले से रूपये गायब होने व एक अंगूर की पेटी

चोरी होना बताया है।

अभियोजन की ओर से परीक्षित अन्य महत्वपूर्ण गवाह पीड 2 आशीष कुमार का मुख्य परीक्षण में कथन है कि वह हेलक दरवाजा कुम्हेर पर रहता है उसकी हार्डवेयर पाटर्स की दुकान बस स्टेण्ड कुम्हेर परर है। उसकी दुकान के सामने तेजाराम पटवा का फलों का गोदाम है। इसी गोदाम में उनका हार्डवेयर का सामान रखा हुआ है। दिनांक 18.03.12 को रात्रि को उसके पास नेपाली चौकीदार ने टेलीफोन पर बताया कि तुम्हारे गोदाम का ताला टूटा हुआ है। टेलीफोन रात्रि करीब सवा दो बजे आया था इस पर वह वहॉ पहुॅचा एवं गोदाम को देखा तो तेजाराम के पास गया तब उन दोनों ने गोदाम को देखा। तेजाराम के गल्ले से करीब 1500 रूपये गायब थे और एक अंगूर की पेटी गायब थी। तेजाराम ने बताया कि सांय को गोदाम के पास अनिल व सुनील को दखा था जो शराब की पार्टी कर रहे थे व शराब पी रहे थे और गोदाम के पास से ही अनिल व सुनील को मौके पर से पकड लिया जिन्होंने चोरी की थी और उनको पुलिस को पकडा दिया था। मौके पर अनिल व सुनील को उसके सामने पकडा था। वह अभियुक्तों को पहिचानता है। दौराने जिरह गवाह ने इस बात का सही होना बताया कि प्रदर्श डी 1 में अनिल व सुनील को गोदाम के पास पकडने वाली बात अंकित नहीं है उसने तो लिखाई थी। गवाह ने इस बात का गलत होना बताया कि वह झूंठे बयान दे रहा हो। इस प्रकार उक्त गवाह ने भी तेजाराम के गल्ले से 1500/—रूपये और अंगूर की पेटी चोरी होना बताया है। उक्त गवाह ने अनिल व सुनील को मौके पर ही पकडना बताया है एवं अभियुक्तगण को भी पहचानने का कथन किया है।

अभियोजन की ओर से परीक्षित अन्य महत्वपूर्ण गवाह पी ड 3 कपूरचंद है जिसने अपने सशपथ कथनों में बताया कि दिनांक 19.03.12 को गिरफ्तारशुदा अभियुक्त सुलील द्वारा रमेश ए एस आई को अपने घर के अंदर कमरे की टॉड से 636 रूपए कुल कागज व सिक्के जिनमें एक रूपए के दो रूपये के पॉच रूपए के कागज के व सिक्के के थे। जिनको उनके सामने सुनील द्वारा बरामद कराया। जिनको रमेश ए एस आई ने उसके सामने फर्द बनाकर जब्त किया। फर्द जब्ति प्र पी 5 है, नक्शामौका प्र पी 6 है, फर्द जब्ति 160 रूपये प्र पी 7,बरामदगीस्थल का नक्शमौका प्र पी 8 है जिन पर उसके

हस्ताक्षर है। न्यायालय में माल प्रस्तुत हुआ जिसमें दो रूपये के 57 सिक्के, आर्टिकल 1 है, 10–10 रूपये के 8 सिक्के आर्टिकल 2 हैं, एक एक रूपये के 274 सिक्के आर्टिकल 3 है, 10 रूपये, 5 रूपये, 2 रूपये एक रूपए के कागज के नोट कुल 168 रूपये आर्टिकल 4 है। उक्त सिक्के व नोटों को अभियुक्त से उसके सामने जब्त किया गया था। यह सभी अभियुक्त सुनील से बरामद हुए थे। अभियुक्त अनिल द्वारा कुल 160 रूपये बरामद करवाये गये थे। जिनमें एक 100 रूपये का नोट आर्टिकल 5 है, व 6 नोट 10–10 रूपये के थे तथा यह आर्टिकल–6 है। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया कि प्रदर्श पी 5 व प्रदर्श पी 6 पर हस्ताक्षर पढकर किये थे। आम लोगों से गवाह बनने के लिए थानेदार ने कहा था। गवाह ने इस बात का सही होना बताया कि जब्ती में थैलियों का रंग नहीं लिखा है।

अभियोजन की ओर से परीक्षित अन्य महत्वपूर्ण गवाह पी ड 4 सतवीर का मुख्य परीक्षण में कथन है कि दिनांक 19.03.12 को गिरफ्तारशुदा अभियुक्त सुनील ने अपने घर की टांड से कुल 638 रूपए उसके सामने रमेश ए एस आई को जब्त करवाये फर्द जब्ती प्र पी 5 है, बरामदगीस्थल का नक्शामौका प्र पी 6 है, उसी दिन गिरफ्तारशुदा अभियुक्त अनिल ने अपने मकान के अन्दर से 160 रूपये बरामद कराये जिसकी फर्द जब्ती प्र पी 7 है व बरामदगीस्थल का नक्शामौका प्र पी 8 है जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। न्यायालय में माल प्रस्तुत हुआ जिसमें दो रूपये के 57 सिक्के, आर्टिकल 1 है, 10–10 रूपये के 8 सिक्के आर्टिकल 2 हैं, एक एक रूपये के 274 सिक्के आर्टिकल 3 है, 10 रूपये, 5 रूपये, 2 रूपये एक रूपए के कागज के नोट कुल 168 रूपये आर्टिकल 4 है। उक्त सिक्के व नोटों को अभियुक्त से उसके सामने जब्त किया गया था। यह सभी अभियुक्त सुनील से बरामद हुए थे। अभियुक्त अनिल द्वारा कुल 160 रूपये बरामद करवाये गये थे। जिनमें एक 100 रूपये का नोट आर्टिकल 5 है, व 6 नोट 10–10 रूपये के थे तथा यह आर्टिकल–6 है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त ने इस बात का सही होना बताया कि मौके पर आस पास की दुकानें खुली हुई थीं तथा आम लोक इकत्रित हो गये थे। सुनील से बरामद रूपये खुली प्लास्टिक की थैली में थे जिन्हें आई ने सील मोहर किया था।

अभियोजन की ओर से परीक्षित अन्य महत्वपूर्ण गवाह पी ड 5

बहादुर सिंह तत्कालीन सिपाही पुलिस थाना कुम्हेर का मुख्य परीक्षण में कथन है कि दिनांक 19.03.2012 को रमेश सिंह ए एस आई द्वारा उक्त प्रकरण में अभियुक्त सुनील व अनिल को उसके सामने गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी प्र पी 9 व प्र पी 10 तैयार जिन पर उसके हस्ताक्षर है।

अभियोजन की ओर से परीक्षित अन्य महत्वपूर्ण गवाह पी ड हरपाल सिंह तत्कालीन सिपाही पुलिस थाना कुम्हेर का मुख्य परीक्षण में कथन है कि दिनांक 19.03.12 को उक्त प्रकरण में वांछित अभियुक्तगण सुनील कुमार, अनिल कुमार को रमेश सिंह ए एस आई द्वारा उसके सामने गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी क्रमशः प्र पी 09 व प्र पी 10 तैयार की जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं।

अभियोजन की ओर से परीक्षित अन्य महत्वपूर्ण गवाह पी ड 8 रामसिंह का मुख्य परीक्षण में कथन है कि तेजाराम के गोदाम से चोरी का नक्शामौका पुलिस ने उसके सामने बनाया था। नक्शामौका प्र पी 3 पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करने के कारण उक्त गवाह को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी गवाह ने इस बात का गलत होना बताया कि सन् 2012 में उसके सामने तेजा की निशादेही से नक्शामौका बनाया था।

अभियोजन की ओर से परीक्षित अन्य महत्वपूर्ण गवाह पी ड 7 रमेश सिंह है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि उसे उक्त प्रकरण की पत्रावली वास्ते अनुसंधान हेतु प्राप्त होने पर उसने नक्शामौका प्र पी 3 तैयार किया जिस पर उसके हस्ताक्षर है। परिवादी तेजाराम व गवाहन के बयान उनके कथनानुसार दर्ज किये। आरोपी सुनील को जरिये फर्द प्र पी 9 व आरोपी अनिल को जरिये फर्द प्र पी 10 गिरफ्तार किया जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी सुनील की दफा 27 की इत्तला प्र पी 11 है, फर्द जब्ति 636 रूपये व सिक्के बकब्जा अभियुक्त सुनील प्र पी 5 है, नक्शामौका बरामदगीस्थल प्र पी 6 है। आरोपी अनिल की दफा 27 की सूचना प्र पी 12 है, फर्द बरामदगी 160 रूपये बकब्जे अभियुक्त अनिल प्र पी 7 है बरामदगी स्थल का नक्शामौका प्र पी 8 है जिन पर उसके हस्ताक्षर है। मालखाना रजिस्टर की प्रति प्र पी 13 संलग्न पत्रावली की थी। उसने अपने अनुसंधान से अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 457,380 आई पी सी का अपराध प्रमाणित पाया

था। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु थानाधिकारी अमरसिंह मीणा को सुपुर्द की थी। प्रकरण में जब्तशुदा माल नोट सिक्के पेश किये गये जिन्हें अनुसंधान के दौरान बरामद करना गवाह ने बताया है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने इस बात का सही होना बताया है कि बरामद नोटों व सिक्कों की उसने कोई बरामदगी नहीं कराई थी। गवाह ने इस बात का सही होना बताया कि समस्त धन राशि अभियुक्त से बरामद नहीं हुई थी क्योंकि अभियुक्त पैसों की दारू भी पी गया था।

सहायक लोक अभियोजक ने दौराने बहस साक्षियों की साक्ष्य को दोहराते हुए मामले को सन्देह से परे बताते हुए अभियुक्त को दण्डित किये जाने का निवेदन किया ।

अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि अभियुक्त को झूंठा फसाया गया है गवाहन के बयानों में परस्पर विरोधाभास है व सभी गवाहन की साक्ष्य से अभियोजन की कहानी सन्देह से परे प्रमाणित नहीं है । अतः अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जावे ।

बहस के सन्दर्भ में पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण के परिवादी तेजा राम ने अपने मुख्य परीक्षण में तहरीरी रिपोर्ट का समर्थन करते हुए बस स्टेण्ड कुम्हेर के पास अपनी किराये की दुकान का ताला टूटना बताया है। गोदाम पर जाकर देखने पर पेटी का गल्ला तथा एक अंगूर की पेटी गायब होना बताया है। हालांकि तहरीरी रिपोर्ट में 1500/—रूपये चोरी होना बताया है परन्तु अपने बयानों में गल्ले में करीब 1800—1900 रूपये बताये हैं। हालांकि जिरह में उक्त गवाह ने गायब गल्ले में 1500/—रूपये व अंगूर की पेटी जिसकी कीमत 250/—रूपये थी, चोरी होना बताया है। परिवादी के कथनों की ताईद गवाह आशीष कुमार जिसकी बस स्टेण्ड कुम्हेर के पास हार्डवेयर पार्टस की दुकान है, ने की है जिसने दिनांक 18.03.2012 को नेपाली चौकीदार के द्वारा गोदाम का ताला टूटने की सूचना टेलीफोन पर देना एवं रात्री को ही मौके पर उसके द्वारा पहुॅचना बताया है। उक्त गवाह ने भी तेजा राम के गल्ले से 1500/—रूपये और एक अंगूर की पेटी चोरी होना बताया है। गवाह कपूर चंद एवं गवाह सतवीर सिंह फर्द जब्ती के गवाह हैं एवं दोनों ही गवाहों ने गिरफ्तारशुदा अभियुक्त सुनील के द्वारा रमेशचंद ए एस आई के साथ सुनील के घर से

अभियुक्त सुनील के द्वारा दी गई साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की इत्तला के अनुसार चोरी किए रूपये 636 बरामद किए हैं। रमेशचंद ए एस आई के द्वारा बरामदगीस्थल का नक्शामौका भी दोनों गवाहों की उपस्थिति में बनाया था। अनुसंधान अधिकारी रमेशचंद ने भी अपने बयानों में इसकी पुष्टि की है। इसके अलावा गवाह हरपाल सिंह एवं बहादुर सिंह फर्द गिरफ्तारी सुनील व अनिल के गवाह हैं जिन्होंने स्वयं के समक्ष अभियुक्तगण को गिरफ्तार करना बताया है। अनुसंधान अधिकारी रमेशचंद ने बाद अनुसंधान अभियुक्त सुनील के विरूद्ध भी मामला धारा 457,380 आई पी सी में प्रमाणित माना है। अभियुक्त की धारा 27 की सूचना पर उसकी निशादेही से 636/—रूपये भी जब्त किये गये हैं। जब्तशुदा राशि भी न्यायालय के समक्ष दौराने साक्ष्य पेश हुई है। दौराने जिरह भी अभियोजन के गवाहों की साक्ष्य का खण्डन नहीं हुआ है।

अतः अभियोजन अभियुक्त सुनील कुमार के विरूद्ध यह तथ्य युक्ति युक्त रूप से सन्देह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 18.03.2012 को किसी समय स्थान बस स्टैण्ड कस्बा कुम्हेर में परिवादी तेजाराम के गोदाम में चोरी करने के आशय से उसका ताला तोडकर रात्री प्रच्छन्न गृह अतिचार करते हुए गल्ले में रखे 1500/—रूपये व 250/—रूपये कीमत की अंगूर की पेटी को बेईमानीपूर्ण आशय से हटाकर चोरी कारित की। अतः अभियुक्त सुनील कुमार आरोपित अपराध धारा 457,380 भारतीय दण्ड संहित के आरोप में दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

—::आदेश::—

अतः अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र नन्नूराम जाति कोली उम्र 30 वर्ष निवासी गौशाला के पास कुम्हेर जिला भरतपुर राज0 को धारा 457,380 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में बाद विचारण दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(मौहम्मद आज़म)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कुम्हेर जिला भरतपुर (राज0)

दण्ड के बिन्दु पर सुना गयाः—

अधिवक्ता अभियुक्त ने बहस के दौरान तर्क दिया कि अभियुक्त की यह प्रथम दोषसिद्धि है। अभियुक्त लम्बे समय से अन्वीक्षा भुगत

रहा है। अभियुक्त भविष्य में अपराध की पुनार्रावृत्ति नहीं करेगा। अतः अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिये जाने का निवेदन किया। अभियोजन अधिकारी ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए समुचित दण्ड से दण्डित करने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त द्वारा रात्री गृह प्रच्छन्न अतिचार कर चोरी का अपराध कारित किया है जो कि गंभीर प्रकृति का अपराध है। इस प्रकार के अपराधों में परिवीक्षा का लाभ दिये जाने से, इस प्रकार के अपराधों में बढोतरी की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः मामले के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त सुनील को निम्नानुसार दण्डादिष्ट किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–::दण्डादेश::–

. अतः अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र नन्नूराम जाति कोली उम्र 30 वर्ष निवासी गौशाला के पास कुम्हेर जिला भरतपुर राज0 को उसके विरूद्ध सिद्धदोष अपराध अंतर्गत धारा–457,380 आई.पी.सी. में निम्नानुसार दण्डित किया जाता है–

1. अभियुक्त सुनील कुमार को धारा 457 आई0पी0सी0 के अपराध में एक वर्ष के साधारण करावास तथा 500/–रूपये (पॉच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त तीन दिन का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा।

2. अभियुक्त सुनील कुमार को धारा 380 आई0पी0सी0 के अपराध में एक वर्ष के साधारण करावास तथा 500/–रूपये (पॉच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त तीन दिन का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा।

अभियुक्त द्वारा प्रकरण के विचारण के दौरान पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को धारा–428 सी.आर.पी.सी. के तहत उसकी मूल सजा में से कम किया जाकर समायोजित किया जावे। मूल सजाएं साथ साथ चलेंगी। अभियुक्त का सजा वारण्ट बनाया जावे। निर्णय की प्रति अभियुक्त को निःशुल्क दी जावे।

हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त क्रम संख्या–2 अनिल कुमार पुत्र हेतराम मफरूर है। अतः पत्रावली पर लाल स्याही से इस आशय का नोट अंकित किया जावे कि ''प्रकरण में अभियुक्त अनिल कुमार मफरूर है, पत्रावली का कोई भी भाग नष्ट नहीं किया जावे।''

(मौहम्मद आज़म)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कुम्हेर जिला भरतपुर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 05.12.2023 को लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मौहम्मद आज़म)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कुम्हेर जिला भरतपुर (राज0)